शैक्षणिक कलेण्डर

वर्ष 2007 – 2008

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / विद्या / 2007–08 / ई / 940 भोपाल, दिनांक 15 जून 2007

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शिक्षण सत्र 2007–2008 की शैक्षणिक गतिविधियों का वार्षिक पंचांग।

किसी भी कार्य की सफलता उसकी सुनियोजित कार्ययोजना पर निर्भर करती है। गतवर्षों के परीक्षा परिणामों ने इस तथ्य को प्रमाणित भी कर दिया है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य में हमारे प्राचार्यों तथा शिक्षकों की अविस्मरणीय भूमिका रही है। इसी क्रम में मार्गदर्शन हेतु शिक्षण सत्र 2007–2008 के लिए शैक्षणिक कलेण्डर जारी किया जा रहा है। प्रयास यह किया गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली समस्त पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों का समावेश कलेण्डर में हो जाये। इसके अतिरिक्त विद्यालयों से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ उसके क्रियान्वयन की समय सारिणी भी कलेण्डर में समावेशित है।

विगत दो वर्षों से प्रत्येक विद्यालय के द्वारा अपने विद्यालय की स्वयं की कार्ययोजना का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। विद्यालयों की कार्ययोजना और अधिक उत्कृष्ट बन सके इस हेतु शैक्षणिक कलेण्डर आधारभूमि प्रदान करेगा तथा कलेण्डर में वर्णित गतिविधियां विद्यालयों की कार्ययोजना में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।

यहां यह भी उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि योजना की उपलब्धता तथा उसके क्रियान्वयन में भारी अन्तर होता है। अतः संस्था प्राचार्यों का यह गुरुतर दायित्व है कि वे इसे महज एक पुस्तिका न मानते हुए विद्यालयीन गतिविधियों के जीवन्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें तथा पूर्ण मनोयोग के साथ इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

आशा है कि यह कलेण्डर विद्यालयों के लिए दर्पण का कार्य करेगा तथा शैक्षणिक सुधारों के क्रम में हमारे प्राचार्य साथियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

शैक्षणिक कलेण्डर वर्ष 2007–2008

सुनियोजित कार्ययोजना का निर्धारण तथा उसका क्रियान्वयन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु शिक्षण कार्य तथा विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि का सुविचारित तथा समयबद्ध निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से शैक्षणिक कलेण्डर तैयार किया गया है।

उद्देश्य ::

- मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों के आयोजन में एकरूपता बनाये रखना।
- उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों के चतुर्दिक् विकास से सम्बद्ध समस्त पक्षों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु छात्रों को गुणात्मक एवं सुव्यवस्थित शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये वातावरण निर्माण करना।
- पालक, शिक्षक,प्रशासक एवं विद्यार्थियों को एकरूप, एकसाथ समस्त विद्यालयीन वार्षिक गतिविधियों से अवगत कराना, जिससे वे अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार कर सकें।
- विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं समाज की मांग के अनुसार सभी क्षेत्रों में दक्षताएं प्रदान करना।
- विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़े सभी सम्बद्ध पक्षों यथा– शिक्षकों ,पालकों एवं प्रशासकों को उनसे की गई अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें उचित निर्देश , सुझाव एवं लक्ष्य उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करना।
- विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन संबंधी प्रणाली को प्रभावी बनाना।
- प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना।
- निःशक्त बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ाना तथा उ नकी अन्तर्निहित प्रतिभा को निखारना।
- राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता ,अखण्डता एवं देशप्रेम की भावना जागृत करना तथा उन्हें सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- उत्सवों के आयोजनों द्वारा भारतीय संस्कृति से परिचित कराना एवं समानता की भावना पैदा करना।
- संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को उनके दायित्वों से अवगत कराना।
- संस्थाओं के निरीक्षण एवं परीक्षा की प्रभावी प्रणाली विकसित करना।
- शैक्षणिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करना।
- सत्र 2006–2007 से किये गये सफल शैक्षणिक प्रयोगों को सत्र 20 07–2008 में भी जारी रखना।
- शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत समस्त हितबद्ध समूहों के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरान्त तैयार की गई शैक्षणिक सुधार योजना का क्रियान्वयन करना।
- विद्यालयों में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से पालकों की भूमिका सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति हेतु विशेष प्रयास करना।
- विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- प्राचार्यों को अपने स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने हेतु सक्षम करना।
- शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी समुचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले इसकी रणनीति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय की कार्ययोजना के निर्माण हेतु संस्था प्राचार्य को समयबद्ध गतिविधियों की जानकारी देना।

- विद्यालयवार तथा जिलावार कार्ययोजना के निर्माण हेतु प्रेरित करना।
- बालकों के स्वास्थ्य रक्षण के प्रति सचेष्ट रहना।

1. शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का निर्माण ::

1.1 विद्यालय की कार्ययोजना ::

लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/ई/06/908 भोपाल दिनांक 11/06/2007 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विद्यालयवार कार्ययोजना का निर्माण किया जाये जिसमें परीक्षा परिणाम का विश्लेषण तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये। विद्यालयवार कार्ययोजना का निर्माण 30 जून 2007 तक कर लिया जाये।

1.2 जिले की कार्ययोजना ::

जिला शिक्षा अधिकारीगण जिले के सभी विद्यालयों को समाहित कर दिनांक 15 जुलाई 2007 तक जिले की कार्ययोजना तैयार करेंगे। जिलास्तरीय कार्ययोजना निर्माण संबंधी तैयारियों की समीक्षा संचालनालय के प्रतिनिधि/अधिकारी दिनांक 23 एवं 24 जून 2007 को जिले में उपस्थित होकर करेंगे। कार्ययोजना में निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश आवश्यक होगाः–

क्रमांक	बिन्दु	समयचक्र
1.	शाला में प्रवेश एवं ठहराव (रिटेंशन) संबंधी समीक्षा	प्रतिमाह
2.	स्कूलों में पालक शिक्षक संघ के गठन एवं बैठकों की स्थिति की समीक्षा	त्रैमासिक
3.	स्कूलों में त्रैमासिक मूल्यांकन की स्थिति की स्कूलवार समीक्षा	अक्टूबर, दिसम्बर
4.	त्रैमासिक/छःमाही मूल्यांकन के आधार पर अधिभार की समीक्षा	अक्टूबर, दिसम्बर
5.	स्कूलों में निदानात्मक/उपचारात्मक कक्षाओं के आयोजन की समीक्षा	अक्टूबर, जनवरी
6.	अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की सतत मानीटरिंग	प्रतिमाह
7.	जिला अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था	जुलाई
8.	पालक शिक्षक संघ के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की समीक्षा	प्रतिमाह
9.	विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा	प्रतिमाह
10.	संचालनालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति मृत, अपंग, सेवानिवृत्त, पितृहीन कन्या, दस्यु पीड़ित परिवार के बच्चे, परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं के बच्चे, नेशनल मेरिट छात्रवृत्ति, हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी में संस्कृत अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की समीक्षा	प्रतिमाह
11.	विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा	प्रतिमाह
12.	पर्यावरण क्लब (ईको क्लब) की गतिविधियों की समीक्षा	प्रतिमाह
13.	स्कूलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा	प्रतिमाह
14.	अकादमिक कलेण्डर के अनुसार गतिविधियों के आयोजन की समीक्षा	प्रतिमाह
15.	विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये प्रयास की समीक्षा	सतत
16.	25 प्रतिशत स्कूलों का अकादमिक निरीक्षण	प्रतिमाह
17.	प्रत्येक स्कूल का जिला शिक्षा अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण,	प्रतिमाह
18.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण तथा बुक बैंक योजना	जुलाई, अगस्त
19.	राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय तथा अन्य संबंधित प्रशिक्षणों की समीक्षा	प्रति सप्ताह
20.	विभिन्न उत्सवों, यथा– मोगली उत्सव, बाल दिवस, बालरंग, बालफिल्म, संस्कृत समारोह, मदरसा प्रतियोगिताएं ,निशःक्त बच्चों की तथा योग, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं की समीक्षा	सत्र पर्यन्त
21.	विभिन्न विद्यालयों के भण्डार एवं लेखों का विशेष परीक्षण	अप्रेल, मई, जून
22.	विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण	अगस्त, सितम्बर
23.	बाह्य मूल्यांकन दलों का गठन कर फीडबेक प्राप्त करना	सितम्बर, अक्टूबर
24.	दूरस्थ अंचलों के कम शिक्षकों वाले स्कूलों में चलित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण सुनिश्चित करना	प्रतिमाह
25.	गुणवत्तापरक शिक्षण हेतु शिक्षण कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी (सी.डी) आदि का उपयोग सुनिश्चित करना।	सतत

1.3 संभागीय कार्ययोजना ::

जिलों की कार्ययोजना के आधार पर संभागस्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाये। इसमें जिलों की कार्ययोजना में सम्मिलित सभी बिन्दुओं को अनिवार्यतः शामिल किया जाये। संभागस्तरीय कार्ययोजना दिनांक 20 जुलाई 2007 तक संचालनालय में भेजी जायेगी।

2. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु मार्गदर्शी निर्देश ::

- समय–समय पर मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालयों का निरीक्षण इस आशय से किया जाना चाहिये कि विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने, किसी एक निश्चित बुक सेलर से किताबें खरीदने या विद्यालय परिसर में किताबें विक्रय करने एवं स्कूल बस्ते का बोझ बढ़ाने जैसी अनियमितताएं न हों। इस संबंध में शासन/संचालनालय के समुचित निर्देशों का पालन तथा मानवाधिकार आयोग मध्यप्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालयीन वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये।
- इनके अतिरिक्त शाला में स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, प्रत्येक दिन सभी विषयों की पुस्तकें बुलाना, विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड देना, विद्यार्थियों द्वारा शाला प्रांगण में मोबाइल का उपयोग, छात्र–छात्राओं को पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था न होना, अग्नि दुर्घटना के बचाव नियमों का पालन न करना, निःशक्त बच्चों के लिये रैम्प की व्यवस्था न होना, पालक शिक्षक संघ का विधिवत् गठन न होना, शाला में खेल मैदान का अभाव, शाला का परिवेश शिक्षण के अनुकूल न होना आदि बिन्दुओं का भी ध्यान संस्थाओं के निरीक्षण के समय रखा जाना चाहिये।

संस्थाओं में पालक–शिक्षक संघ के सहयोग से निम्नानुसार गतिविधियाँ सुनिश्चित की जायें–

2.1 प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में पालक–शिक्षक संघ की त्रैमासिक बैठक आयोजित होना चाहिये विशेष तौर पर बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में सहमति के आधार पर आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये और सुझावों का क्रियान्वयन शाला प्रबंधकों द्वारा अनिवार्यतः किया जाना चाहिये।

2.2 बैठकों मे यह तय किया जाये कि निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी कौनसी विषय पुस्तकें हैं जिनको छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये पढाया जाना आवश्यक है।

2.3 प्राथमिक शाला के बच्चों के लिये विषयवार अध्यापन हेतु दिन/समयचक्र का निर्धारण पालक–शिक्षक संघ के माध्यम से किया जाकर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

2.4 शाला में पेयजल उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि छात्र–छात्राओं को पीने के पानी की बोतल साथ न लाना पड़े। पालक–शिक्षक संघ के माध्यम से भी इस विषय में सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये।

2.5 पालक–शिक्षक संघ एवं स्कूल प्रबंधन की संयुक्त भागीदारी से बस्ते के बोझ को कम करने के लिये स्वनिगमित व्यवस्था स्थापित की जाना चाहिये। बैठकों में व्यापक विचार विमर्श के उपरांत आवश्यक व्यवस्थाएं सत्रारंभ के पूर्व सुनिश्चित की जायें। इसके लिये लॉकर की व्यवस्था, पाठ्य सामग्री, नोटबुक आदि सत्र के हिसाब से निश्चित किया जाना चाहिए।

2.6 शाला की समय सारिणी में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी पुस्तकें प्रतिदिन शाला में न लानी पडें। यह भी विचार होना चाहिये कि क्लास एवं होमवर्क के लिये पृथक्–पृथक् नोटबुक तैयार किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं, और किस दिन कौनसी नोटबुक लानी चाहिये।

2.7 **म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 362/2005/20–1 दि 10.02.2005 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के वातावरण को व्यवधानमुक्त बनाने के लिये विद्यालय प्रांगण में मोबाइल लाना प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/विद्या/ई/2005/80, दि. 14.02.2005 द्वारा इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण दिया गया है। इनका परिपालन समस्त शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित किया जाना चाहिये।**

2.8 समय–समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षणों में भी बच्चों को शारीरिक दण्ड न देने के संबंध में सचेत करना चाहिए पालक–शिक्षक संघ को भी इस संबंध में जागरूक रहना चाहिये कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2.9 **कक्षा 1 से 12 वीं तक की सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित किया जाये कि–**

(क) अग्नि दुर्घटना हेतु बनाये गये नगरीय कल्याण विभाग के नियमों का पालन शाला भवन के निर्माणों हेतु सुनिश्चित हो।

(ख) विद्यालयीन छात्रों को स्कूल ले जाने वाले एवं घर पहुंचाने वाले प्रत्येक वाहनों को सूचीबद्ध कर उनसे अनुबंध करते समय अनिवार्यरूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस से वाहन संचालित न करने की शर्त रखी जानी चाहिये। स्कूल द्वारा संचालित किये जाने वाले वाहनों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के **पत्र क्रमांक विद्या/पी/06/15/300 भोपाल दिनांक 16.3.2006** में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ग) विद्यालयों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित डिजाइन ले–आउट आधारित टायलेट/यूरिनल की व्यवस्था छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक–पृथक आवश्यक रूप से की जानी चाहिये।

(घ) निःशक्त बच्चों के लिये विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था हो।

2.10 प्रत्येक माह संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित तिथि को संस्था के सभी शिक्षकगण पालकों से सम्पर्क करेंगे। इस दिन शिक्षक पालकों के घर जायेंगे और अगले दिन संस्था प्रधान को प्रतिवेदन देंगे।

2.11 विद्यालयीन कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता एवं अन्य पाठ्यसहगामी कार्यक्रम संलग्न शैक्षणिक कलेण्डर अनुसार आयोजित किये जायें। कलेण्डर अनुसार कार्यक्रम की निर्धारित तिथि किसी अवकाश के कारण प्रभावित होती है तो अवकाश के अगले दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ। यदि किसी संस्था प्रधान को विशेष परिस्थितियों में अथवा कार्यवश किसी कार्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता जरूरी हो तो वह उचित कारणों सहित कार्यक्रम परिवर्तन का अनुमोदन पालक–शिक्षक संघ की बैठक में प्राप्त करें।

2.12 विद्यालय में यदि विषयवार शिक्षकों की कमी हो तो इस कमी की पूर्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाये।

3. पालक – शिक्षक सहयोग संबंधी गतिविधियॉं ::

प्रत्येक संस्था में पालक–शिक्षक संघ का गठन जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर लिया जाए। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों हेतु जनशिक्षा अधिनियम के अनुसार तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/03/ई/515 दिनांक 25/07/2003 के संलग्न जारी नियमावली तथा क्रमांक/विद्या/ई/1492 भोपाल दिनांक 08/09/2006 द्वारा उक्त नियमावली में किये गये संशोधन के अनुसार पालक शिक्षक संघ का गठन किया जाये। प्रत्येक परीक्षा के बाद इसकी बैठक आयोजित की जाए। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है।

4 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ::

4.1 सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के वितरण आदि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन समयावधि में सुनिश्चित किया जाए।

4.2 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना का लाभ हितग्राही विद्यार्थियों को समयावधि में मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए।

4.3 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना (बुक बैंक योजना) का लाभ नियमानुसार हितग्राही–अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले विद्यार्थियों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को दिया जाए।

4.4 निःशक्त बच्चों के मूल्यांकन तथा उन्हें दी जाने वाली स्टेशनरी, गणवेश, उपकरण आदि समयसीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

4.6 लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक विद्या/ई/800 भोपाल दिनांक 05/06/2007 द्वारा जारी निर्देशानुसार स्कूली विद्यार्थियों के लिए व्यापक स्तर पर नेत्र परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह परीक्षण निम्नानुसार तिथियों में आयोजित होगाः–

स.क्र	कार्य	तिथि
1	जिला कलेक्टर्स तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करना। आदिवासी कल्याण विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र को सहयोग हेतु पत्र जारी करना।	15 जून 2007
2	उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में जिला रेडक्रास प्रभारियों हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन करना।	25 जून 2007
3	जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला/जूनियर रेडक्रास समिति की बैठक का आयोजन करना।	15 जुलाई 2007 तक
4	जिला स्तर पर संकुल केन्द्रो के रेडक्रास प्रभारी शिक्षक तथा दो दो विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।	30 जुलाई 2007 तक
5	संकुल स्तर पर सभी शालाओं के दो दो विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।	15 अगस्त तक
6	विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक नेत्र परीक्षण	30 अगस्त तक
7	विकास खण्ड स्तर पर नेत्र शिविर का आयोजन	15 सितम्बर तक
8	''ए'' श्रेणी के छात्रों को चश्मा उपलब्ध कराना	30 सितम्बर तक
9	''बी'' श्रेणी के छात्रों का उपचार	30 अक्टूबर तक
10	विशेष प्रकरणों की जानकारी संचालनालय में भेजना	15 नवम्बर 07 तक

4.7 **बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरणः–**
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत अपने गांव से दूसरे गांव स्थित शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र की सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2007–2008 में साइकिल प्रदाय करने की तिथि समूह 'ए' के जिलों के लिये 15 अगस्त 2007 तक, समूह 'बी' के जिलों के लिये 15 सितम्बर 2007 तक, समूह 'सी' के लिये 15 अक्टूबर 2007 तक तथा समूह 'डी' के लिये 30 अक्टूबर 2007 तक की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि अनुसार सायकिल वितरण सुनिश्चित किया जाये।

4.8 शिक्षण संस्थाओं तथा जिला स्तर से यह प्रयास किये जायें कि रोटरी क्लब आदि स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करके स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस हेतु स्थानीय निधि से 25 प्रतिशत राशि देकर शेष राशि संगठनों द्वारा वहन करने हेतु भी प्रेरित किया जाये।

5 निरीक्षण रोस्टर ::

5.1 संकुल प्राचार्यो का यह उत्तरदायित्व है कि अपनी शाला के अतिरिक्त संकुल के अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं में सुव्यवस्थित गुणवत्तायुक्त शिक्षा छात्र/छात्राओं को प्राप्त हो सके। इसके लिए प्रत्येक संकुल प्राचार्य निरीक्षण रोस्टर इस प्रकार बनायेंगे कि संकुल अंतर्गत आने वाली प्रत्येक शाला का निरीक्षण सत्र में कम से कम दो बार सुनिश्चित हो सके।

5.2 संस्था प्राचार्य संस्थान्तर्गत विषय शिक्षकों द्वारा किए गए अध्यापन कार्यों, शिक्षक दैनन्दिनी, गृह कार्यो आदि का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण टीप प्राचार्य अपनी डायरी में तथा संबंधित शिक्षक की दैनंदिनी में अंकित करेंगे।

5.3 विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण रोस्टर बनाएंगे। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकास खण्ड स्तर अंतर्गत आने वाली समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण सत्र में कम से कम तीन बार कर लिया जाए।

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी जिलान्तर्गत स्वयं का एवं सहायक संचालक का निरीक्षण रोस्टर बनाएंगे। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला अन्तर्गत प्रत्येक हायर सेकण्डरी का कम

से कम तीन बार तथा प्रत्येक हाईस्कूल का कम से कम दो बार निरीक्षण सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक संचालक द्वारा पृथक–पृथक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह जिलान्तर्गत कम से कम 05 हायरसेकेण्ड्री/हाईस्कूलों का अकादमिक निरीक्षण किया जाये तथा कम से कम 30 हायरसेकेण्ड्री/हाईस्कूलों/मिडिल/प्रायमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये।

5.4 संभागीय संयुक्त संचालक, तथा संभागीय सहायक संचालक संभागान्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों का रोस्टर तैयार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि संभाग की अधिकतम संस्थाओं का निरीक्षण किया जा सके। संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा प्रतिमाह जिलान्तर्गत कम से कम 05 हायरसेकेण्ड्री/हाईस्कूलों का अकादमिक निरीक्षण किया जाये तथा कम से कम 30 हायरसेकेण्ड्री/हाईस्कूलों/मिडिल/प्रायमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये।

5.5 सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि विद्यालयों का केवल प्रशासनिक निरीक्षण ही नहीं किया जाये अपितु संचालनालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार अकादमिक निरीक्षण भी अवश्य किया जाये ये सभी निरीक्षण सुझावात्मक होना चाहिए।

5.6 संचालनालय स्तर से उपर्युक्तानुसार निरीक्षणों की मॉनीटरिंग की जाएगी तथा पृथक् से भी निरीक्षण कराये जायेंगे।

6. विद्यालय समय ::

पालक शिक्षक संघ के अनुमोदन से पारी व्यवस्था निम्नानुसार की जा सकेगी :–

6.1. (अ) एक पारी विद्यालय – प्रातः 10:30 से सायं 5:00 बजे तक

(ब) दो पारी विद्यालय – (1) प्रातः 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

(प्रत्येक पारी पाँच घंटे) (2) दोपहर 12:00 से सायं 5:00 बजे तक

6.2 प्रत्येक कालखण्ड न्यूनतम 40 मिनट का रहेगा।

6.3 मध्यावकाश 30 मिनट का रहेगा।

6.4 दो पारियों में विद्यालय लगने की स्थिति में मध्यावकाश के समय में कटौती की जाकर शैक्षिक कालखण्डों का समय अनिवार्यतः 40 मिनट रखा जाये।

6.6 समय विभाग चक्र में सत्रारंभ से ही प्रति सप्ताह न्यूनतम तीन कालखण्ड निदानात्मक कक्षाओं हेतु रखे जाएँ।

6.7 दो पारी वाले विद्यालयों में संस्था प्रधान का समय प्रातः 10.00 से 5.30 बजे तक रहेगा। यथासंभव संस्थाएं एक पारी में ही संचालित की जायें। स्थानाभाव के कारण ही दो पारी में संचालित की जायें। शिक्षकों की कमी के कारण दो पारी नहीं की जायेगीं।

6.8 एक पारी में संचालित होने वाले विद्यालयों में शाला प्रारंभ होने के पूर्व तथा दो पारी वाले विद्यालयों में प्रथम पारी में शाला प्रारंभ होने के पूर्व तथा द्वितीय पारी में शाला समाप्ति पर न्यूनतम 20 मिनट का योग का कालखण्ड सुनिश्चित किया जाए। यह कालखण्ड शाला संचालन हेतु निर्धारित समय के अतिरिक्त होगा।

7. शाला सभा ::

विद्यालय में शाला सभा हेतु 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत–वन्देमातरम् प्रार्थना, श्लोक पाठ, सूक्ति वाचन, अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग, देश भक्ति गीत, ध्यान/मौन आदि आयोजित किये जायें।

8. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना ::

प्रत्येक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। इस हेतु कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से रुपये 1/– प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित किया जाये। यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा एकत्र कर अपने पास रखी जायेगी, जिसका विधिवत लेखा संधारण किया जायेगा इस राशि से योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकेगा।

कैरियर मार्गदर्शन योजनान्तर्गत वर्ष भर में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/ई/व्ही/04/78/2006–2007/982 भोपाल दिनांक 26.6.2007 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9. मूल्यांकन ::

9.1. शैक्षणिक कलेण्डर में वर्णित निर्धारित तिथियों में ही त्रैमासिक परीक्षा, अर्ध वार्षिक परीक्षा एवं प्री–बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए तथा विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा शैक्षणिक कलेण्डर में वर्णित पालक–शिक्षक समूह की बैठक की तिथियों पर ही की जावे। त्रैमासिक परीक्षा तथा अर्ध वार्षिक परीक्षा के तत्काल बाद इन परीक्षाओं हेतु निर्धारित अधिभार अंकसूचियों में दर्ज कर दिया जाये। वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर) तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा इत्यादि का पालन भी विभागीय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

9.2. प्रत्येक छात्र की मूल्यांकन प्रगति पुस्तिका संधारित की जायेगी। इसके अन्तर्गत छात्र के त्रैमासिक एवं अन्य परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकित कर सात दिवस में उनके पालकों को अवगत कराया जायेगा।

9.3. बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्री–बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्यतः ली जाएं।

9.4 कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएँ बोर्ड पेटर्न पर आयोजित की जायेंगी। इस हेतु विद्यार्थियों को समय–समय पर सचेत किया जाये। इसकी तिमाही, छःमाही तथा परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें विद्यार्थियों को अवलोकन करायी जाये।

9.5 तिमाही, छःमाही की अधिभार प्रक्रिया से भी छात्रों को अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त तिमाही तथा छःमाही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की उस माह के अन्तिम रविवार को पुनःपरीक्षा आयोजित जाये। पुनः परीक्षा में छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किये गये हों इनके आधार पर ही अधिभार दिया जाये।

10. उत्सव एवं विशेष दिवसों का आयोजन ::

10.1. राष्ट्रीय पर्व, त्यौहारों एवं समारोह से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के निश्चित दिनांक एवं अवसरों पर आयोजन हेतु पालक शिक्षक संघ की बैठक में पूर्व से कार्ययोजना बना ली जाए।

10.2. उत्सव/विशेष दिवसों का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाये।

10.3. उत्सव/विशेष दिवस के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो तो उसे एक दिन पहले/बाद में अवश्य मनाया जाये।

10.4. उत्सव/विशेष दिवस के दिन अन्य दिनों की तरह पूरे कालखण्ड में शिक्षण कार्य हो तथा प्रत्येक कालखण्ड में से 5–5 मिनट का समय घटाकर शेष समय में निर्धारित दिनांक को ही मनाया जाये।

10.5. राष्ट्रीय पर्व को विद्यालयों में संस्था प्रधान, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की उपस्थिति में अनिवार्यतः मनाया जाए।

11. पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ ::

11.1. वार्षिकोत्सव के साथ उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह के संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। **वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम दिसम्बर माह के पूर्व आयोजित किया जाये।**

11.2. विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से साहित्यिक/सांस्कृतिक/बालरंग मंडल/खेलकूद/गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी को सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

11.3. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/रेडक्रॉस,/ईको क्लब (एन.जी.सी.) विज्ञान क्लब इत्यादि गतिविधियाँ जारी कार्यक्रम अनुसार संचालित की जाएं।

11.4. साहित्यिक/सांस्कृतिक/बालरंग मण्डल/ईको क्लब (एन.जी.सी.)/खेलकूद गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को अंतिम कालखण्ड में किया जाये। (स्काउट एवं गाइड/ एन.सी.सी../ एन.एस.एस./रेडक्रॉस के कार्यक्रम तत्संबंधी नियमानुसार होंगे)।

11.5 प्रदेश के प्रत्येक हायर सेकण्डरी में माह के द्वितीय शनिवार को केरियर रोजगार मार्गदर्शन प्रदान

किया जाये।

12. संस्था, शिक्षक एवं बालकों को प्रोत्साहन/पुरस्कार ::

शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अन्तर्गत उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं, शिक्षकों एवं बालकों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत करने की योजना िनम्नानुसार हैः–

12.1 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान ::

जिला स्तर पर कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों के आधार पर तैयार की जाने वाली प्रावीण्य सूची में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाये।

12.2 बालश्री पुरस्कार ::

प्रत्येक जिले के 5 वीं एवं 8 वी बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट एवं मेधावी एक–एक छात्र एवं छात्रा को राज्यस्तरीय बालदिवस समारोह में बालश्री सम्मान से सम्मानित किया जायेगा।

12.3 प्रतिभा पुरस्कार ::

कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्यस्तरीय बालदिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

12.4 विशेष सम्मान ::

अति–प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं **यथा**–आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., सी.पी.एम.टी., एन.डी.ए., पी.एम.टी., पी.ई.टी., पी.ए.टी. इत्यादि में चयनित होने वाले विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को भी शालास्तर पर पालक–शिक्षक–संघ द्वारा विशेष आयोजन कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं पालकों को भी आमंत्रित किया जाए।

12.5 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान ::

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षकों को प्रतिवर्ष 5 सितम्बर शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाता है। राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान के अंतर्गत /–रुपये 10,001/– नकद, शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाता है।

12.6 राष्ट्रपति पुरस्कार ::

प्रदेश के उत्कृष्ट एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों को चांदी का पदक व रुपये 25,000/– नकद, शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है।

13. शिक्षकों का गैर–शैक्षणिक कार्यों में अभिनियोजन ::

जनशिक्षा अधिनियम अध्याय–दो (10) के अनुसार राज्य सरकार के स्कूली शिक्षकों को शैक्षणिक एवं अन्य ऐसे कार्यो के लिये अभिनियोजित किया जायेगा जो स्कूल के शैक्षणिक कृत्यकारी के प्रबंध के भाग हो, राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर ही उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य के लिये अभिनियोजित किया जा सकेगा। अर्थात् बिना शासनादेश के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न न किया जाये यह सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/218/410/2007/20–2 भोपाल दिनांक 07 फरवरी 2007 तथा लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/ई/256 भोपाल दिनांक 31/01/2007 द्वारा भी शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजित न करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

14. अवकाश ::

14..1 प्रारंभिक शिक्षा के लिए लागू जनशिक्षा अधिनियम अध्याय–2(7) के अनुसार स्थानीय अवकाश पालक शिक्षक संघ द्वारा विहित किये जाएँ।

14.2 **सत्र 2007–2008 में विद्यालयों के लिये घोषित अवकाश निम्नानुसार रहेंगे :–**

1. **दशहरा अवकाश –** दिनांक 20 अक्टूबर 2007 से 22 अक्टूबर 2007 (03 दिवस)
2. **दीपावली अवकाश–** दिनांक 07 नवम्बर 2007 से 10 नवम्बर 2007 (04 दिवस)
3. **शीतकालीन अवकाश–** दिनांक 25 दिसम्बर 2007 से 27 दिसम्बर 2007 (03 दिवस)
4. **ग्रीष्म कालीन अवकाश–** दिनांक 01 मई 2008 से 23 जून 2008 तक (54 दिवस शिक्षकों के लिए)
   दिनांक 01 मई 2008 से 30 जून 2008 तक (61 दिवस विद्यार्थियों के लिए)
5. **ग्रीष्म कालीन अवकाश– (पचमढ़ी के लिये)** दिनांक 09 जुलाई 2008 से 25 अगस्त 2008 तक (48 दिवस शिक्षकों के लिए)
   दिनांक 01 जुलाई 2008 से 30 अगस्त 2008 तक (61 दिवस विद्यार्थियों के लिए)

14.3 अन्य अवकाश जो किसी विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जायेंगे वह भी विद्यालयों में मान्य होंगे।

14.4 यदि किसी कारणवश राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो वह भी विद्यालय में मान्य होगा।

14.5 परीक्षा कार्यक्रम के बीच यदि राज्य शासन/केन्द्र शासन/स्थानीय शासन द्वारा कोई अवकाश घोषित किया जाता है तब उस दिवस पर आयोजित होने वाले प्रश्नपत्र की परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न पत्र के अगले दिन (कार्यदिवस) पर सम्पन्न होगी।

14.6 शैक्षणिक स्टॉफ एवं छात्र–छात्राओं के लिये घोषित दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाशों का उपभोग विद्यालय के प्राचार्य एवं कार्यालयीन कर्मचारी नहीं करेंगे।

15 प्रशिक्षण ::

शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु वर्षभर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाऐगा। प्रमुख प्रशिक्षण इस प्रकार हैं :–

15.1. **म.प्र.प्रशासन अकादमी के सहयोग से सत्र 2007–2008 में मप्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य संवर्ग को दूरवर्ती प्रशिक्षण के माध्यम से माह अगस्त 2007 से फरवरी 2008 तक प्रशिक्षित किये जाने की योजना है। प्रशिक्षण सैटकाम के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें स्कूल प्रबंधन, वित्तीय मामले, नवीन नियमों, उप नियमों तथा शासन की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं से परिचित कराया जायेगा।**

15.2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयनित प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षक आदि के व्यक्तित्व विकास के

लिये प्रशासन अकादमी द्वारा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल तथा प्रशिक्षण की रूपरेखा संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

15.3 नवनियुक्त संविदा शिक्षक वर्ग–1 तथा संविदा शिक्षक वर्ग–2 को इंडक्शन (परिचायक) प्रशिक्षण दिया जायेगा।

15.4 हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को विज्ञान, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी विषयों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाना है। इस हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण भोपाल में किया जायेगा। ये प्रशिक्षक विकासखण्ड स्तर पर हाईस्कूल स्तर के संबंधित विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।

15.5 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 9वीं एवं 11वीं में कुछ विषयों का पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित पाठ्यक्रम के कठिन अंशों का प्रशिक्षण प्रदेश के सभी शिक्षकों/व्याख्याताओं को दिया जायेगा।

16. विशिष्ट आयोजन /प्रतियोगिताएँ ::

विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक प्रतियोगिताएं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं एतदर्थ विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली गतिविधियों/ प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार हैः–

16.1 मोगली बाल उत्सवः:

क्रमांक	प्रतियोगिता	स्तर	वर्ग	आयोजन तिथि
1.	निबंध	शाला स्तर	कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वर्ग	27.09.2007
		जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर	केवल कनिष्ठ वर्ग	29.09.07
2.	लिखित प्रश्न पत्र	विकासखण्ड स्तर	कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वर्ग	7.10.2007
3.	प्रश्न मंच	जिला स्तर	कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वर्ग	10.10.2007

इन प्रतियोगिताओं में राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय (अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त सीबीएसई से संबद्ध) केन्द्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय आदि के छात्र/छात्राएँ सम्मिलित होंगे ।

विद्यालय के ईको क्लब प्रभारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि ईको क्लब से संबंधित छात्र–छात्राएँ अनिवार्य रूप से सहभागिता करें। प्रतियोगिता के आयोजन के समय यह ध्यान रखा जाये कि *वे विद्यार्थी जो पिछले वर्षो में जिलास्तर पर विजेता होकर राज्यस्तरीय महोत्सव में सहभागिता कर चुके हैं वे शाला स्तर आदि किसी भी स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।* शासकीय विद्यालयों के शेष सभी छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

प्रथम स्तर (विद्यालय स्तर) ::

विद्यालय स्तर पर **निबंध प्रतियोगिता** दिनांक **27 सितम्बर 2007** को सभी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 5 के विद्यार्थी) मिडिल स्कूलों/हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिये होगी। एन.जी.सी./ईको–क्लब से संबंधित विद्यालय अपने निकटस्थ विद्यालयों में इन प्रतियोगिताओं का प्रचार–प्रसार एवं समन्वय करेंगे तथा सभी विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। प्रतियोगिता हेतु लेखन सामग्री की व्यवस्था विद्यालय की स्थानीय निधि से की जायेगी।

कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 5 से 8) एवं वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) में अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं हेतु निबंध प्रतियोगिता का आयोजन पृथक–पृथक किया जायेगा। इस हेतु निम्नानुसार निर्धारित विषयों में से किसी एक विषय का चयन संबंधित विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा। विषय इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9,10,11,एवं 12)	क्रमांक	कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 5,6,7,एवं 8)
1	वन अधिकारों को मान्यता	1	धरती का लिबास, पेड़ पौधे घास
2	प्रदूषण– कारण एवं निवारण	2	विश्व पर्यावरण दिवस
3	बढ़ते बीहड़ घटते वन	3	नर्मदा– प्रदेश की जीवन रेखा
4	राष्ट्रीय हरित कोर– ईको क्लब	4	ताल तलैया – प्रकृति के शृंगार
5	विश्व वसुन्धरा दिवस	5	सफेद शेर – प्रदेश का गौरव
6	यदि पानी हुआ बर्बाद तो हम कैसे रहेंगे आबाद	6	पेड़ पहाड़ के गहने
7	स्वपोषी विकास	7	कचरे के दुष्प्रभाव
8	परिस्थितिकीय पिरामिड	8	जंगल का सिपाही
9	हरित उत्पाद	9	जड़ी बूटियाँ घरेलू उपचार
10	मोगली का परिवार	10	मोगली का परिवार
11	प्रदेश की खनिज सम्पदा	11	किचन गार्डन
12	भू–क्षरण : कारण एवं निवारण	12	पोलीथीन के दुष्प्रभाव
13	ओजोन परत का क्षरण	13	वर्मी कम्पोस्ट
14	ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प	14	वृक्षों की उपादेयता
15	पर्या–पानी–परम्परा	15	जब पक्षी नहीं होंगे
16	घटते चरागाहः वनों पर बढ़ता दवाब	16	नदी किनारे मेले, मिले छोड़ झमेले
17	पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक क्यों ?	17	जंगल क्यों नाराज है ?
18	धरती की यह है पीर,, न है जंगल न है नीर	18	राष्ट्रीय उद्यान
19	पर्यावरण से प्रीति, हमारी परम्परा और रीति	19	ओजोन परत का क्षरण
20	जंगल क्यों नाराज है ?	20	ऊर्जा के पर्या मित्र विकल्प
21	ईको–क्लब–बच्चों की सेना की उपादेयता	21	जल जनित बीमारियां
22	तपती धरती		
23	नहीं मरती नदी, हम सजग होते यदि		

सभी विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिये जायेंगे ताकि वे पूर्व तैयारी कर सकें। प्रतियोगिता का समय 1 $^{1}/_{2}$ घण्टे रहेगा। निबन्ध हेतु **शब्दों की सीमा निर्धारित नहीं है**। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र तथा एक छात्रा का चयन किया जायेगा। जिन विद्यालयों में सह शिक्षा नहीं है उनमें से बालक विद्यालय में से एक छात्र तथा बालिका विद्यालय में से एक छात्रा का चयन किया जायेगा।

ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 5 से 8वीं तक कक्षाएँ संचालित हैं, उनमें इन कक्षाओं के प्रतियोगियों में से प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता छात्र/छात्राओं का चयन किया जायेगा। **जो विद्यालय केवल कक्षा 5वीं तक संचालित है उनमें केवल कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्याथियों की प्रतियोगिता होगी** तथा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 5वीं के एक छात्र तथा एक छात्रा का चयन किया जायेगा। जिन प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा नहीं है उनमें से बालक प्राथमिक विद्यालय से एक छात्र तथा बालिका प्राथमिक विद्यालय में से एक छात्रा का चयन किया जायेगा। इसी प्रकार हाईस्कूल में जहॉ कक्षा 9वीं एवं 10वीं कक्षाएँ संचालित हैं वहाँ 9वीं एवं 10वीं के लिए छात्र/छात्राओं के मध्य चयन होगा। जहाँ हायर सेकण्डरी स्कूल में 11वीं एवं 12वीं संचालित है वहाँ 11वीं एवं 12वीं के लिए छात्र/छात्राओं के मध्य चयन होगा। यदि हायर सेकण्डरी स्कूल 9वीं से 12वीं तक हैं वहाँ 9वीं से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं के मध्य चयन होगा। जिन हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्राथमिक, मिडिल कक्षाएं संचालित हैं वहाँ कनिष्ठ वर्ग तथा वरिष्ठ वर्ग के लिए पृथक–पृथक प्रतियोगिताएँ होंगी। **निबन्धों का मूल्यांकन संबंधित शाला के शिक्षकों द्वरा किया जायेगा**। निबन्ध हेतु 100 अंक नियत रहेंगे। जिसे सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे वह प्रथम होगा। शाला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को विद्यालय की स्थानीय निधि से पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिये जाएँगे।द्व

कनिष्ठ वर्ग के शाला स्तर पर चयनित प्रतियोगियों के लिए **दिनांक 29 सितम्बर 2007 को जन शिक्षा केन्द्र स्तर** पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी छात्र/छात्रायें विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे अर्थात् कनिष्ठ वर्ग के जो छात्र/छात्राएँ शाला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त

करेंगे उन्हें जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और जन शिक्षा केन्द्र स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन परीक्षा के दिन ही जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी के निर्देशन पर किया जाएगा तथा प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को इसकी सूचना जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा 28 सितम्बर 2006 को अनिवार्यतः दी जायेगी ताकि वे विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकें। जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त एक छात्र तथा एक छात्रा को विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

द्वितीय स्तर (विकासखण्ड स्तर) ::

विकासखण्ड स्तर पर **लिखित प्रश्न प्रतियोगिता** होगी। यह प्रतियोगिता दिनांक **7 अक्टूबर 2007** को प्रातः 11:00 बजे प्रत्येक जिले के विकास खण्डों में संकुल स्तर उ.मा.वि./हाईस्कूल में होगी। इसमें दो वर्गों– कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 5, 6, 7 एवं 8) एवं वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे । **विकास खण्ड स्तर की प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग के जन शिक्षा केन्द्र स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रथम स्थान प्राप्त एक छात्र तथा एक छात्रा तथा वरिष्ठ वर्ग के समस्त विद्यालयों के चयनित प्रथम स्थान प्राप्त एक छात्र तथा एक छात्रा सम्मिलित होंगे**। प्रतियोगिता हेतु **प्रश्न पत्र भोपाल से भेजे जायेंगे**। संकुल स्तर पर संपन्न लिखित प्रश्न प्रतियोगिता की **उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विकासखण्ड मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित शासकीय उ.मा.वि. में किया जायेगा**। यह मूल्यांकन संस्था के प्राचार्य तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा। संकुल संस्था के प्राचार्य लिखित प्रश्न प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएँ विकास खण्ड स्थित मूल्यांकन केन्द्र में उसी दिन भिजवायेंगे।

लिखित प्रश्न प्रतियोगिता के मूल्यांकन उपरान्त **दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 को परीक्षाफल की घोषणा** की जायेगी तथा विकासखण्ड मुख्यालय स्थित मूल्यांकन केन्द्र के प्राचार्य–उ.मा.वि. द्वारा **दिनांक 5 अक्टूबर, 2007 को कार्यक्रम आयोजित कर** प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त छात्र तथा छात्रा को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस हेतु व्यय आयोजक संस्था की स्थानीय निधि से किया जायेगा।

संकुल स्तर पर आवश्यक होने पर लेखन सामग्री की व्यवस्था संकुल प्राचार्य द्वारा स्थानीय निधि से की जाएगी। मूल्यांकन संबंधी व्यय मूल्यांकन संस्था के प्राचार्य द्वारा स्थानीय निधि से किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर प्रतियोगिता में से कनिष्ठ वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा एवं वरिष्ठ वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा का चयन किया जायेगा जो जिलास्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह छात्र/छात्रा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले होंगे।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर महानगरों में मुख्यालय स्थित विकास खण्डों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पृथक–पृथक विकास खंड माना जाकर उनके लिये पृथक–पृथक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायें । इस प्रकार उपर्युक्त महानगरों में प्रतियोगिताओं के लिए एक–एक विकास खण्ड अतिरिक्त होगा।

तृतीय स्तर (जिला स्तर) ::

जिलास्तर पर **मौखिक प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता** दिनांक **10 अक्टूबर 2007** को दोनों वर्गों– कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 5 से 8) एवं वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) में होगी। प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक छात्र तथा एक छात्रा (प्रत्येक वर्ग से) सहभागिता करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन **जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट उ.मा.वि. द्वारा किया जायेगा।** संस्था प्राचार्य इसके संयोजक होंगे। क्विज प्रतियोगिता का संचालन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (इप्को) द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों/व्याख्याताओं द्वारा किया जायेगा। आवश्यक लेखन सामग्री की व्यवस्था आयोजक संस्था की स्थानीय निधि से की जायेगी। विकास खण्ड स्तर से जिलास्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं के यात्रा व्यय की व्यवस्था उनकी अध्ययनरत संस्था की स्थानीय निधि से की जायेगी।

जिला स्तर पर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।

राज्यस्तरीय आयोजन ::

जिलास्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त कनिष्ठ वर्ग से एक छात्र तथा एक छात्रा एवं वरिष्ठ वर्ग से एक छात्र तथा एक छात्रा का चयन किया जायेगा। **ये चयनित छात्र राज्यस्तरीय आयोजन '' मोगली बाल महोत्सव '' में सहभागिता करेंगे।** राज्यस्तरीय तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। इन छात्रों के साथ **एक महिला शिक्षिका रहेगी जिसका चयन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तर के आयोजन में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका ही जाएगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होगी ।**

जिलास्तरीय प्रतियोगिता में चयनित छात्र/छात्राओं तथा शिक्षिका के ''मोगली बाल महोत्सव'' राज्यस्तरीय आयोजन में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एप्को (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन) द्वारा हर जिले में ईको क्लब को आकस्मिक व्यय हेतु प्रदान की गई राशि में से वहन किया जायेगा । इसी राशि से दल के प्रत्येक सदस्य को रुपये 100/– रास्ते के भोजन/स्वल्पाहार के लिए दिए जाएँगे।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित छात्र एवं छात्रा मोगली बाल महोत्सव में आवश्यक रूप से सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई छात्र अथवा छात्रा सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र अथवा छात्रा को मोगली बाल महोत्सव में अनिवार्यतः सम्मिलित कराया जाये।

तीनों स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी छात्र/छात्राओं के बराबर अंक आने पर निचली कक्षा के विद्यार्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि ऐसे प्रतिभागी एक ही कक्षा के हो तो कम उम्र वाले प्रतिभागी को वरीयता दी जायेगी।

उक्तानुसार तीनों स्तरों पर निर्धारित तिथियों में कनिष्ठ वर्ग तथा वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाये। इसमें जिला शिक्षा केन्द्र का सहयोग लिया जाये ।

16.2 राज्यस्तरीय बाल दिवस समारोह :–

इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार साहित्यिक प्रतियोगितायें सम्पन्न होंगी। ये प्रतियोगितायें कनिष्ठ (कक्षा–6,7,8) एवं वरिष्ठ (कक्षा–9,10,11,12) वर्ग के लिये आयोजित होंगी–

साहित्यिक प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्ड स्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्यस्तर
वाद–विवाद निबंध तात्कालिक भाषण, साहित्यिक अन्त्याक्षरी, कबीर, सूर, तुलसी के दोहों का सस्वरपाठ, चित्रकला	06 अक्टूबर 2007 तक	23 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	30 अक्टूबर 2007	14–15 नवम्बर 2007

तात्कालिक भाषण/निबंध/स्वरचित काव्य पाठ/अन्त्याक्षरी प्रतियोगिताएँ पाठ्यपुस्तक में उल्लिखित महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य की संस्कृति, पर्यावरण आदि विषयों पर आधारित होंगी।

साहित्यिक प्रतियोगिताएं महाकवि तुलसी, कबीर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, पं.नेहरू, तिलक आदि महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा राष्ट्र एवं राज्य की संस्कृति पर्यावरण आदि विषयों पर आधारित होंगी।

प्रत्येक जिले की पाँचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट एवं मेधावी एक छात्र एवं एक छात्रा को राज्यस्तरीय बाल दिवस समारोह में बालश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

कक्षा 10 वीं की प्रावीण्य सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले तथा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की संकायवार प्रावीण्य सूची में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्यस्तरीय बाल दिवस समारोह में सम्मानित किया जायेगा।

16.3 बाल फिल्म समारोह :–

मध्यप्रदेश बाल फिल्म समारोह का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ संगीत एवं कला अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल तथा बालचित्र समिति मुम्बई के संयुक्त तत्वावधान में वाणिज्य कर विभाग तथा जन संपर्क विभाग के सहयोग से सम्पन्न होगा। बाल फिल्म समारोह के आयोजन की तिथियों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जाएंगे।

16.4 राष्ट्रीय बालरंग :–

बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिये बालरंग का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाऐगाः–

सांस्कृतिक प्रतियोगिता	शाला स्तर	विकासखण्ड स्तर	जिला स्तर	संभाग स्तर	राज्य स्तर
वादन, लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य,	06 अक्टूबर 2007 तक	23 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	30 अक्टूबर 2007	16–17–18 नवम्बर 2007

राष्ट्रीय स्तर पर बालरंग का आयोजन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। प्रतियोगी छात्र राष्ट्रीय बाल रंग में प्रस्तुत होने वाली प्रस्तुतियों का अवलोकन भी कर सकेंगे।

हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2007 में गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थी को श्री गोविंद दामोदर धामणकर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र बालरंग कार्यक्रम में प्रदान किया जायेगा इसीप्रकार हाईस्कूल परीक्षा में वर्ष 2007 में संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को श्री रघुनाथ गणेश खानवलकर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र बालरंग कार्यकम में प्रदान किया जायेगा।

16.5 राज्यस्तरीय योग समारोह ::

योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की उस पद्धति का नाम है, जो सदियों के अनुसन्धान के बाद विकसित हुई। यह सर्वविदित है कि योग का अनुकूल प्रभाव मनुष्य के शरीर तथा मन पर पड़ता है, जो उसके मानसिक तथा शारीरिक दोषों को दूर करने में सहायक होता है। विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेंगी :–

प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्ड स्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्य स्तर
चित्रकला भाषण निबन्ध प्रश्नोत्तरी सूर्यनमस्कार तात्कालिक भाषण वाद–विवाद	06 अक्टूबर 2007 तक	23 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	30 अक्टूबर 2007	24–25 जनवरी 2008

16.6 संस्कृत संबंधी प्रतियोगिताएँ :–

क्र.	प्रतियोगिता का नाम	विषय	शालास्तर	जिलास्तर	राज्यस्तर	विशेष
1	**संस्कृत प्रतियोगिताएं**		25 अगस्त से 31 सितम्बर 2007 तक	26 अक्टूबर 2007	17–18 नवम्बर 2007	प्रतियोगिताएं दो वर्गों में होंगी। **प्रथम वर्ग–** कक्षा 6 से 8/ प्रथमा तक के विद्यार्थियों के लिए
	निबंध	मध्यप्रदेशस्य प्रमुख संस्कृत रचनाकाराः				
	वाद–विवाद	भारतदेशं परमाणुशक्तेः विकासः करणीयः				
	भाषण	न संस्कृतिः संस्कृतं विना				

	श्लोकगायन	संस्कृत पाठ्यक्रम से कोई पांच श्लोक				**द्वितीय वर्ग–** कक्षा 9 से 12 / पूर्व मध्यमा / उत्तर मध्यमा तक के विद्यार्थियों के लिए।
	प्रश्न मंच, अन्त्याक्षरी, शुद्ध लेखन, वेदपाठ,	संस्कृत पाठ्यक्रम पर आधारित				
2	कालिदास प्रतियोगिताएं श्लोक गायन, चित्रांकन, नृत्य–नाटिका,	कालिदास साहित्य पर आधारित	25 अगस्त से 31 सितम्बर	26 अक्टूबर 2007	22–23 नवम्बर 2007	

16.7 मदरसा संबंधी प्रतियोगिताएं :–

मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मदरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिये विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्डस्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्यस्तर
निबंध, वाद–विवाद,(बहसमुबाहिसा) क़त मुकाबला, प्रश्नमंच, शुद्धलेखन (खुशख़द),	06 अक्टूबर 2007 तक	23 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	30 अक्टूबर 2007	17–18 नवम्बर 2007

निबंध, वाद–विवाद,(बहसमुबाहिसा) क़त मुकाबला, प्रश्नमंच, शुद्धलेखन (खुशख़द), प्रतियोगिताएँ पाठ्यपुस्तक में उल्लिखित महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तथा राष्ट्र एवं राज्य की संस्कृति, पर्यावरण आदि विषयों पर आधारित होगी।

16.8 निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएं ::

निःशक्त बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की तरह सम्मानजनक पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने की दृष्टि से एक सशक्त मंच मिलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से निःशक्त बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं की तिथियों का निर्धारण किया गया है। तदनुसार निम्नांकित प्रतियोगिताएं कनिष्ठ (कक्षा 6,7,8) तथा वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) में आयोजित की जाएं –

प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्ड स्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्यस्तरीय
सुगम संगीत, वादन, नृत्य, एकल अभिनय, सामूहिक अभिनय, तात्कालिक भाषण, चित्रांकन	06 अक्टूबर 2007 तक	23 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	30 अक्टूबर 2007	17–18 नवम्बर 2007

16.9 विज्ञान प्रतियोगिताएं ::

(क) ग्रामीण विज्ञान प्रदर्शनी::

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विज्ञान एवं गणित प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के विद्याार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शनी का जिलास्तर आयोजन जिला मुख्यालय की समन्वय संस्था में तथा राज्यस्तरीय आयोजन प्रतिवर्ष भोपाल में म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से आंचलिक विज्ञान केन्द्र में किया जाता है। प्रदर्शनी को विषय विशेष के दायरे में सीमित न करते हुये कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित प्रदर्श (माडल) रखे जाते हैं। इन्टेल एशिया से अनुबंध अनुसार राज्य स्तर पर चयनित माडल ''राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज मेला'' (एस. टी.डी.एफ) में सम्मिलित होते हैं। मंडल द्वारा प्रतिभागियों व शिक्षक को प्रतियोगिता स्थल के शहर का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाता है।

(ख) राज्यस्तरीय विज्ञान मेला ::

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करती है जिलास्तरीय एवं राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में यह आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य कथानक निर्धारित किया जाता है। प्रतियोगिताएं विकासखण्ड, जिलास्तर, क्षेत्र स्तर एवं राज्यस्तर पर आयोजित किया जाता है। विज्ञान मेले की विभिन्न प्रतियोगिताओं में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थी एवं डाइट व शिक्षा महाविद्यालय के छात्राध्यापक भाग ले सकते हैं। तिथियों का निर्धारण राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर द्वारा पृथक से प्रसारित किया जाता है।

16.10 युवा संसद प्रतियोगिता ::

प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारतीय संसदीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए संसदीय विद्यापीठ द्वारा युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

युवा संसद प्रतियोगिता के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के दो दलों का चयन किया जाये। एक दल में सत्ताधारी दल तथा दूसरा विरोधी पक्ष का होगा। दोनों दलों द्वारा युवा संसद का मंचन किया जाये। जिसमे संसद/विधानसभा में जिस प्रकार की कार्यवाही संचालित होती है उसी प्रकार संचालित करते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाये।

प्रतियोगिता के आयोजन हेतु संसदीय पीठ द्वारा आवश्यक साहित्य एवं सी. डी. के अतिरिक्त रुपये 10 हजार का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय को दिया जायेगा।

यह प्रतियोगिता दीपावली के पूर्व आयोजित की जायेगी तथा विजेताओं को 26 जनवरी 2008 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।

17 बिन्दु 15 में उल्लिखित समस्त प्रतियोगिताओं के लिए समय, प्रतिभागियों की संख्या, एवं विषयों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है ::

17.1. प्रतियोगिताओं का समय निम्नानुसार होगा ::

निबंध लेखन 60 मिनिट, तात्कालिक भाषण 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, स्वरचित काव्यपाठ 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, वाद–विवाद 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, सामान्य ज्ञान 120 मिनिट, साहित्यिक अन्त्याक्षरी 120 मिनिट, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कविता पाठ 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, प्रश्नोत्तरी 120 मिनिट, सुगम संगीत 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, वादन 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, एकल अभिनय 3 मिनिट प्रति प्रतिभागी, सामूहिक अभिनय 7 मिनिट प्रति समूह, चित्रकला 60 मिनिट, लोक नृत्य 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, शास्त्रीय नृत्य 5 मिनिट प्रति प्रतिभागी/समूह।

17.2. शालास्तर से राज्यस्तर तक की प्रतियोगिताओं के लिये चयनित प्रतिभाागियों की संख्या प्रत्येक वर्ग से निम्नानुसार होगी ::

निबंध लेखन–01, तात्कालिक भाषण–01, स्वरचित काव्यपाठ–01, वाद–विवाद–02 (पक्ष–विपक्ष), सामान्य ज्ञान–02,, साहित्यिक अन्त्याक्षरी–02,, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कविता पाठ एक प्रश्नोत्तर–02,, सुगम संगीत–01, वादन–ताल, स्वर एवं लोक प्रत्येक से–01, एकल अभिनय–01, सामूहिक अभिनय–अधिकतम–05, चित्रकला–01, लोक नृत्य अधिकतम–11, शास्त्रीय नृत्य अधिकतम–05

17.3 निबंध लेखन, एवं चित्रकला प्रतियोगिता में जिलास्तर पर प्रथम पुरस्कृत निबंध/चित्र की सामग्री को जिलास्तर से सीधे राज्यस्तरीय प्रतियोगिता हेतु लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र. के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में भेजा जायेगा। इनके सहभागी संभागीय तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थित नहीं होंगे।

18. शालाओं से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण शासनादेश ::

1. विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में:–

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./विद्या/पी/टी/1/2006/1695 दिनांक 28/9/2006 के अनुसार विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाये:–

1. विद्यालय के निर्धारित समय के बाद बालिकाओं को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं रोका जाये।
2. विद्यालय में किसी महिला शिक्षिका को बालिकाओं की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रभारी बनाया जाये ताकि बालिकाएं बेहिचक अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा सकें।
3. विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली बालिकाओं के साथ महिला शिक्षिका को अनिवार्यतः भेजा जाये।

2. बच्चों को शारीरिक दण्ड न देने बाबत :–

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./विद्या/पी/टी/1/2006/1695 दिनांक 28/9/2006 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक 532 दिनांक 01/04/2005 के अनुसार शिक्षकों द्वारा किसी भी शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाये। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड देने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

3. विद्यालयों में प्रतिबंधित वन्य प्राणी प्रजातियों के उपयोग को रोकने बाबत :–

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./विद्या/पी/2007/470 दिनांक 05/03/2007 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश ने अपनी विज्ञप्ति क्रमांक/569/विद्या/2005 दिनांक 04/03/2005 के माध्यम से समस्त प्राचार्यों को अवगत कराया है कि जीव विज्ञान विषय के अन्तर्गत प्रायोगिक कार्य में जीव विच्छेदन कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, किन्तु पाठ्यक्रम अनुसार जन्तुओं के आन्तरिक अंगों के अध्ययन हेतु शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट्स, माडल, कम्प्यूटर सी.डी. आदि का उपयोग किया जाये।

4. **व्याख्याताओं द्वारा हाईस्कूल कक्षाओं में अध्यापन कार्य :–**

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./विद्या/पी/1764 दिनांक 08/12/2005 के अनुसार हायर सेकण्डरी स्कूलों के व्याख्याताओं द्वारा अनिवार्यरूप से हाईस्कूल की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करवाया जाये ताकि हाईस्कूल की छात्र/छात्राएँ उच्च योग्यता प्रांप्त व्याख्याताओं के ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। व्याख्याताओं का उपयोग निदानात्मक कक्षाओं में भी किया जाये। इसके उपरान्त भी यदि कोई व्याख्याता हाईस्कूल की कक्षाएँ पढ़ाने से इंकार करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

5. **विद्यालयों में लिया जाने वाला शुल्क :–**

विद्यालयों में माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों मे राज्यशासन द्वारा निम्नानुसार स्थानीय वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है तदनुसार ही शुल्क लिया जाये :–

क्रमांक	मद	माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
1	विज्ञान शुल्क	5.00	30.00	50.00
2	क्रीड़ा	–	30.00	50.00
3	क्रीड़ा पंजीयन	1.00	2.00	2.00
4	स्काउट/गाइड	8.00	10.00	10.00
5	रेडक्रास	10.00	20.00	20.00
6	क्रियाकलाप	15.00	20.00	20.00
7	रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क	–	–	10.00

19. विद्यालयों में समयबद्ध अध्ययन–अध्यापन के लिये एवं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन तिथिवार दर्शित कलेण्डर के अनुसार सुनिश्चित किया जाए:–

जुलाई 2007

रवि	**1** वनमहोत्सव प्रारंभ	**8**	**15**	**22**	**29**
सोम	**2** *सत्रारंभ	**9**	**16**	**23** तिलक, एवं चन्द्रशेखर आज़ाद जयन्ती	**30** गुरु पूर्णिमा
मंगल	**3**	**10**	**17**	**24**	**31** मुंशी प्रेमचन्द जयन्ती
बुध	**4**	**11** विश्व जनसंख्या दिवस	**18**	**25**	शैक्षणिक सत्र 2007–2008 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रवेश के लिये मण्डल के पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 30 मई 2007 में प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
गुरु	**5** सेटकाम से केरियर काउन्सलर प्रशिक्षण	**12**	**19**	**26**	
शुक्र	**6**	**13**	**20**	**27**	
शनि	**7** वनमहोत्सव समापन	**14**	**21**	**28** **मैथलीशरण गुप्त जयन्ती, हजरत अली जन्म दिवस**	

कुल कार्य दिवस– 26 | **कुल अध्यापन दिवस– 26** | **अवकाश–00** | **उत्सव–06**

जुलाई माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– सत्र 2007–08 प्रारंभ, शाला प्रवेश, समयचक्र निर्धारण तथा शिक्षण कार्य का शुभारंभ, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं बुक बैंक योजना की पाठ्य पुस्तकों का वितरण, निःशक्त विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण एवं समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का विद्यार्थियों के बीच प्रचार प्रसार। 2– गत सत्र की विद्यालयीन कार्ययोजना की समीक्षा। 3– पाठ्यक्रम की प्रथम एवं द्वितीय इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन। 4– शासनादेशों के अनुरुप पालक शिक्षक संघों का गठन एवं पहली बैठक का आयोजन। 5– विद्यार्थियों की विभिन्न समितियों का गठन एवं पहली बैठक का आयोजन। 6– स्टॉफ के साथ बैठक आयोजित कर विद्यालय की शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन संबंधी कार्य योजना पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेना। 7– वर्षा प्रारंभ होते ही जल संरक्षण, संवर्धन एवं संग्रहण (By Rain Water Harvesting) की योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 8– पर्यावरण क्लब के माध्यम से शाला परिसर में वृक्षारोपण करना एवं वृक्षों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करना। 9– 31 जुलाई तक प्रविष्ट छात्रों का विकासखण्ड एवं ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण। 10– प्रायोगिक कार्य प्रारंभ करना। 11– विज्ञान क्लब का गठन, 12–वर्ष 2007–2008 हेतु शैक्षिक कार्ययोजना का निर्माण, 13– बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना हेतु हितग्राहियों का चयन।

अगस्त 2007

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13 दुर्गादास राठौर जयन्ती	20 सद्भावना दिवस, तुलसी जयन्ती	27 ओणम्
मंगल		7	14	21	28 रक्षा बन्धन, संस्कृत दिवस
बुध	1 तिलक पुण्यतिथि	8	15 स्वतंत्रता दिवस	22	29 राष्ट्रीय खेल दिवस, शब–ए–बारात
गुरु	2	9 भारत छोड़ो आन्दोलन दिवस	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	31 संस्कृत सप्ताह का समापन
शनि	4	11	18 नाग पंचमी	25 संस्कृत सप्ताह प्रारम्भ	

कुल कार्य दिवस– 25 | **कुल अध्यापन दिवस– 25** | **अवकाश–02** | **उत्सव–06**

अगस्त माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– पाठ्यक्रम की तृतीय एवं चतुर्थ इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 2– चिकित्सकीय मूल्यांकन हेतु शेष रहे निःशक्त बच्चों का 30 अगस्त तक विद्यालय स्तर पर नेत्र परीक्षण/स्वास्थ्य परीक्षण, **3–स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार प्रत्येक संस्था में प्रभातफेरी, झण्डा बंधन आदि आयोजन अनिवार्य रूप से किये जाये।**

शिक्षक दैनन्दिनी में निम्नांकित तथ्यों का समावेश किया जाये :–

● छात्र–छात्राओं के पूर्व ज्ञान के बारे में आंकलन टीप ● कक्षा में पढ़ायी जाने वाली पाठ्यवस्तु ● वास्तव में पढ़ी जा सकी इकाई ● गृहकार्य ● शिक्षण उपरान्त छात्र–छात्राओं की उपलब्धि का मूल्यांकन● कमजोर छात्र/छात्राओं हेतु पाठ्यांशों का पुनः सरलीकरण कर विशेष शिक्षण योजना।

विज्ञान क्लब का गठन ::

हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लब का गठन किया जाये जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित हो सके। उनमें समझने, परखने, सीखने, सहायक सामग्री का उपयोग करने के प्रति चेतना आ सके। वे समुदाय को स्वच्छता, शारीरिक स्वास्थ्य, एड्स जागरूकता, सौर ऊर्जा, जलसंरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा ईको फेण्डली होने के प्रति चैतन्य बना सकें।

विशेष

स्कूली बच्चों का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर आयोजित रैली या मानव श्रृंखला के रूप में न किया जाये तथा सड़क के दोनों ओर बच्चों को खड़ा न किया जाये।

सितम्बर 2007

रवि	30	2	9	16 अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस	23 डोल ग्यारस
सोम		3	10	17 विश्वकर्मा जयन्ती	24
मंगल		4 जन्माष्टमी	11	18 नवाखाई / राजा शंकरशाह का वलिदान दिवस	25 अनन्त चतुर्दशी
बुध		5 डॉ. राधाकृष्णन जयन्ती (शिक्षक दिवस का आयोजन)	12	19	26
गुरु		6	13	20	27 विश्व पर्यटन दिवस
शुक्र		7	14 हिन्दी दिवस,रमजान	21	28 हरित उपभोक्ता दिवस
शनि	1	8 विश्व साक्षरता दिवस	15 गणेश चतुर्थी	22	29

कुल कार्य दिवस– 24 | कुल अध्यापन दिवस– 24 | अवकाश–01 | उत्सव–05

सितम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की पांचवी इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 2– स्काउट/गाइड एवं रेडक्रास दलों का गठन एवं शिविरों का आयोजन करना, 3– त्रैमासिक परीक्षा– 07 सितम्बर से 13 सितम्बर, तक तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर निदानात्मक कक्षायें प्रारम्भ करना, 4– पालक शिक्षक संवाद का आयोजन, 5– विद्यार्थियों को दिये गये गृहकार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन, 6– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए, 7– प्रथम तिमाही के आधार पर "डी" ग्रेड छात्र–छात्राओं (अनुतीर्ण) को चिन्हित कर अनुतीर्ण विषयों की पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, 8– विकासखण्ड स्तर पर 15 सितम्बर तक नेत्र शिविरका आयोजन।

त्रैमासिक परीक्षा समय सारिणी

दिनांक	कक्षा 9वीं	कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	कक्षा 12वीं
07	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी	विशिष्ट–हिन्दी/अंग्रेर्ज	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी
08	गणित	विज्ञान	भौतिकी/बहीखाता/इतिहास	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल
10	संस्कृत	सामा. अध्ययन	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत
11	विज्ञान	गणित	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा./राज.शा.
12	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा./राज.शा.	भौतिकी/बहीखाता/इतिहास
13	विशिष्ट–हिन्दी/अंग्रेजी	संस्कृत	उक्त विषयों के अतिरिक्त शाला में संचालित विषयों की परीक्षा का विषय समय सारिणी में जोड़ा जाये। प्रायोगिक परीक्षाएँ अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व सुविधानुसार आयोजित की जायें।	

22 सितम्बर–परीक्षा परिणाम एवं पालक शिक्षक संवाद
30 सितम्बर को तिमाही परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की पुनः परीक्षा का आयोजन

27 सितम्बर– मोगली बाल उत्सव, निबंध प्रतियोगिता– शालास्तर
29 सितम्बर– मोगली बाल उत्सव, निबंध प्रतियोगिता– जनशिक्षा केन्द्र स्तर

अक्टूबर 2007

रवि		7 वन्य जीव सप्ताह का समापन	14 विश्व मानक दिवस,ईद–उल–फितर	21 विजयादशमी	28
सोम	1 वन्य जीव सप्ताह प्रारम्भ, रक्त दान दिवस	8	15	22	29
मंगल	2 महात्मा गांधी, शास्त्री जयन्ती, स्वच्छता दिवस	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस	31 संकल्प दिवस
गुरु	4 राष्ट्रीय अखण्डता, विश्व जीव कल्याण दिवस	11 विश्व खाद्य दिवस	18	25	
शुक्र	5	12 नवरात्रारंभ, प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस	19	26	
शनि	6 विश्व परिवेश दिवस	13	20	27	

कुल कार्य दिवस– 24 **कुल अध्यापन दिवस– 24** **अवकाश–03** **उत्सव–03**

अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– पाठ्यक्रम की छठी एवं सातवीं इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 2– विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन, 3– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए।

विभिन्न प्रतियोगिताएँ

07 अक्टूबर मोगली बाल उत्सव – लिखित प्रश्नपत्र प्रतियोगिता (विकासखण्ड स्तर)
10 अक्टूबर मोगली बाल उत्सव – प्रश्नमंच प्रतियोगिता (जिला स्तर)
06 अक्टूबर तक शाला स्तर – साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएँ
23 अक्टूबर विकासखण्ड स्तर – साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएँ
26 अक्टूबर जिलास्तर – साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएँ
30 अक्टूबर संभाग स्तर – साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएँ

नवम्बर 2007

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19 मातृदिवस,महारानी लक्ष्मीबाई जयन्ती,इन्दिरा गांधी जयन्ती,कौमीएकता दिवस	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14 पंडित नेहरू जयन्ती, (बाल दिवस)	21 देवोत्थानी एकादशी, कवि कालिदास समारोह	28
गुरु	1	8	15 बिरसामुण्डा जयन्ती	22	29
शुक्र	2	9 दीपावली	16	23	30
शनि	3	10	17	24 गुरूनानक जयंती	

कुल कार्य दिवस– 21 | कुल अध्यापन दिवस– 21 | अवकाश–05 | उत्सव–05

नवम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की 8 वीं इकाई का शिक्षण,मूल्यांकन तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा 22 से 29 नवम्बर 2–विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन 3– शाला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करना 4– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए।

* अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर अ–(60 प्रतिशत से अधिक) ब–(45 से 60 प्रतिशत),स–(33 से 45 प्रतिशत) एवं द– (33 प्रतिशत से कम) की श्रेणियों में कक्षा के विद्यार्थियों का विभाजन कर नवम्बर से फरवरी तक नियमित निदानात्मक कक्षाओं का संचालन।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा समय सारिणी

दिनांक	कक्षा 9वीं	कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	कक्षा 12वीं
22	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी	विशिष्ट–हिन्दी / अंग्रेजी	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी
23	गणित	विज्ञान	भौतिकी / बहीखाता / इतिहास	रसायन / वाणिज्य के मूलतत्व / भूगोल
26	संस्कृत	सामा. अध्ययन	रसायन / वाणिज्य के मूलतत्व / भूगोल	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत
27	विज्ञान	गणित	विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी	गणित / व्या.अर्थ शा. / राज.शा.
28	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी	गणित / व्या.अर्थ शा. / राज.शा.	भौतिकी / बहीखाता / इतिहास
29	विशिष्ट–हिन्दी / अंग्रेजी	संस्कृत	उक्त विषयों के अतिरिक्त शाला में संचालित विषयों की परीक्षा का विषय समय सारिणी में जोड़ा जाये। प्रायोगिक परीक्षाएँ अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व सुविधानुसार आयोजित की जायें।	

#14 नवम्बर–राज्यस्तरीय बालदिवस समारोह#14–15 नबम्बर–साहित्यिक प्रतियोगिताएँ#17–18 नवम्बर–सांस्कृतिक, संस्कृत, मदरसा एवं निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएँ#22–23 नवम्बर– राज्यस्तरीय कालिदास समारोह

16–17–18 नवम्बर– राष्ट्रीय बालरंग समारोह

दिसम्बर 2007

रवि	30	2 विश्व विकलांग दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस	9	16	23
सोम	31	3 डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जयन्ती, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण	10 मानव अधिकार दिवस	17	24
मंगल		4	11	18	25 क्रिसमस दिवस
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20 गीता जयंती	27
शुक्र		7 झण्डा दिवस	14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	21 ईदुज्जुहा	28
शनि	1 विश्व एकता दिवस	8	15	22	29

कुल कार्य दिवस– 23 | कुल अध्यापन दिवस– 23 | अवकाश–03 | उत्सव–02

दिसम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की नवम एवं दशम इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 2– विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन, 3– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए, 4– 31 दिसम्बर के पूर्व शाला का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित करना।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

08 दिसम्बर को अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं पालक शिक्षक संवाद
16 दिसम्बर को अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की पुनः परीक्षा आयोजित की जायेगी।

विशेष

प्रदेश के स्कूलों में वार्षिकोत्सव के दौरान देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, स्थानीय संस्कृति पर आधारित शालीन लोकनृत्य, भारतीय संस्कृति एवं लोक परम्परा को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों का ही आयोजन किया जाये ताकि विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक चेतना का समुचित विकास हो सके।

जनवरी 2008

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14 मकर संक्रांति	21 प्री–बोर्ड एवं प्री–बोर्ड पेटर्न परीक्षाओं का समापन	28
मंगल	1	8	15 प्री–बोर्ड एवं प्री–बोर्ड पेटर्न की परीक्षाएं प्रारंभ	22	29
बुध	2	9	16	23 सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, वसन्त पंचमी	30 शहीद स्मृति दिवस
गुरु	3	10	17	24	31 प्री–बोर्ड परीक्षा परिणाम, पालक शिक्षक संवाद
शुक्र	4	11 मोहर्रम	18	25	
शनि	5	12 स्वामी विवेकानन्द जयन्ती	19	26 गणतंत्र दिवस	

कुल कार्य दिवस– 25 | कुल अध्यापन दिवस– 25 | अवकाश–01 | उत्सव–04

जनवरी माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, 2– विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का सतत् अवलोकन, 3–विद्यालयीन पत्रिका का प्रकाशन, 4 – प्रायोगिक कार्य पूर्ण करना, 5– कक्षा 10 एवं 12 के कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये तथा निःशक्त बच्चों के लिए विशेष अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाए, 6– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए 7– **गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार प्रत्येक संस्था में प्रभातफेरी, झण्डा बंधन आदि आयोजन अनिवार्य रूप से किये जाये।**

प्री–बोर्ड परीक्षा समय सारिणी

दिनांक	कक्षा 9वीं	कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	कक्षा 12वीं
15	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी	विशिष्ट–हिन्दी / अंग्रेजी	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी
16	गणित	विज्ञान	भौतिकी / बहीखाता / इतिहास	रसायन / वाणिज्य के मूलतत्व / भूगोल
17	संस्कृत	सामा. अध्ययन	रसायन / वाणिज्य के मूलतत्व / भूगोल	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत
18	विज्ञान	गणित	विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी	गणित / व्या.अर्थ शा. / राज.शा.
19	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी / अंग्रेजी	गणित / व्या.अर्थ शा. / राज.शा.	भौतिकी / बहीखाता / इतिहास
21	विशिष्ट–हिन्दी / अंग्रेजी	संस्कृत	उक्त विषयों के अतिरिक्त शाला में संचालित विषयों की परीक्षा का विषय समय सारिणी में जोड़ा जाये।	

31 जनवरी – प्री–बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं पालक शिक्षक संवाद

24–25 जनवरी – राज्यस्तरीय योग समारोह

फरवरी 2008

रवि		3	10	17	24
सोम		4	11 वसंत पंचमी	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13 नर्मदा जयंती	20	27
गुरु		7	14	21	28 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	

कुल कार्य दिवस– 25 | कुल अध्यापन दिवस– 25 | अवकाश–00 | उत्सव–01

फरवरी माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं इकाई वार मूल्यांकन, 2– निदानात्मक कक्षाएं जारी रखना, 3– विद्यार्थियों को दिये गये गृहकार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत अवलोकन, 4– विद्यार्थियों की विषयगत कठिनाइयों का निराकरण करना, 5–माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराना, 6– परीक्षाओं की पूर्व तैयारी करना। 7– प्री–बोर्ड परीक्षाओं के 'डी' ग्रेड विद्यार्थियों की विशेष निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन।

विशेष

1. कक्षा 9वीं एवं 11वीं की प्रायोगिक (वार्षिक) परीक्षा 29 फरवरी के पूर्व सम्पन्न कराना।
2. .कक्षा 9वीं एवं 11वीं तिमाही, छःमाही तथा प्रायोगिक के अंक और 10 प्रतिशत अधिभार आदि की पूर्ति कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में नामांकित छात्रों के नाम नामिनलरोल में अंकित किये जाकर नामीनल रोल 29 फरवरी तक विकासखण्ड मुख्यालय के प्राचार्य, उत्कृष्ट उमावि को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराना।

मार्च 2008

रवि	30	2	9	16	23 विश्व मौसम दिवस
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6 महाशिवरात्रि	13	20	27 रंग पंचमी
शुक्र		7	14	21 विश्व वानिकी दिवस	28
शनि	1	8	15	22 होली विश्व जल दिवस	29

कुल कार्य दिवस– 24 | कुल अध्यापन दिवस– 24 | अवकाश–02 | उत्सव–03

मार्च माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन– अ– हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री परीक्षा (बोर्ड द्वारा घोषित समयानुसार) ब– स्थानीय कक्षा 9वीं एवं 11वीं परीक्षा एवं 31 मार्च तक परिणाम (संचालनालय द्वारा घोषित समयानुसार –बोर्ड पेटर्न पर आधारित) स– प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा। (राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा घोषित समयानुसार)

विशेष

कक्षा 9वीं एवं 11वीं के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति तथा कठिन अंशों का अध्यापन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन एवं कमजोर विद्यार्थियों हेतु निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन कर विशेष रूप से किया जाये। इस माह में बोर्ड परीक्षाये होने की स्थिति में परीक्षा समय को छोड़कर शेष समय में 9वीं एवं 11वीं हेतु नियमित अध्ययन–अध्यापन जारी रखा जाये।

अप्रैल 2008

रवि		6 नववर्षारंभ चैतीचांद	13	20 हनुमान जयन्ती	27
सोम		7 विश्व स्वास्थ्य दिवस	14 रामनवमी डॉ. भीमराव अंबेडकर जयन्ती	21	28
मंगल	1	8	15	22 विश्व वसुंधरा दिवस	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18 विश्व धरोहर दिवस	25 गुड फ्राइडे	
शनि	5	12	19 महावीर जयंती	26	

कुल कार्य दिवस– 24 | कुल अध्यापन दिवस– 00 | अवकाश–01 | उत्सव–05

अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन– पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, एनएसएस रेडक्रास, क्रीड़ा इत्यादि, शासकीय/स्थानीय निधियों का आंतरिक सत्यापन एवं अंकेक्षण तथा सत्यापन आदि की कार्यवाही प्रारंभ करना, 30 अप्रैल – ''प्रतिभा सम्मान समारोह''। प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। 30 अप्रैल को संस्था प्रधान द्वारा स्टॉफ की बैठक लेकर सत्र पर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा एवं आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार विमर्श कर निर्णय लेना।

विशेष

बोर्ड/स्थानीय परीक्षा के दौरान परीक्षा समय के उपरान्त तथा जिस दिन परीक्षा न हो आगामी दिवस के प्रश्नपत्र की तैयारी करायी जाये।

मई 2008

रवि		4	11	18	25
सोम		5 नीम दिवस	12	19 बुद्ध पूर्णिमा	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1 विश्व ऊर्जा दिवस	8 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	15	20 अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31 विश्वधूम्रपान एवं तम्बाकू निषेध दिवस

कुल कार्य दिवस– 00 | कुल अध्यापन दिवस– 00 | अवकाश–27 | उत्सव–00

मई माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 2– ग्रीष्मकालीन योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 3– बालरंग नाट्य शिविरों का आयोजन।

विशेष

1–भण्डार क्रय नियमों के अनुसार समस्त अभिलेखों का संधारण एवं **भौतिक सत्यापन**– पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रास, क्रीड़ा इत्यादि, शासकीय/स्थानीय निधियों का आंतरिक सत्यापन एवं अंकेक्षण तथा सत्यापन आदि की कार्यवाही पूर्ण कर समेकित प्रतिवेदन ज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजना।
2– स्थानीय निधियों की केशबुक तथा पासबुक को अद्यतन करना तथा जाँचकर्ता से प्रविष्टियों का सत्यापन कराना तथा स्थानीय निधियों की भण्डार पंजी में प्रविष्ट सामग्री का समिति से भौतिक सत्यापन कराना तथा सभी कंक्षों में उसका विवरण अंकित करना।

जून 2008

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23 *ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त (शिक्षकों के लिए)	30 *ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त (छात्रों के लिए)
बुध	3	10	17	24	
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5 विश्व पर्यावरण दिवस	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

कुल कार्य दिवस– 06 | कुल अध्यापन दिवस– 00 | अवकाश–20 | उत्सव–00

जून माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– जिला बोर्ड एवं स्थानीय कक्षाओं की पूरक परीक्षायें, 2– विद्यालय की अधोसंरचना पूर्ण करना, 3– ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 4– ग्रीष्मकालीन योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 5– बालरंग नाट्य शिविरों का आयोजन।

विशेष

1– अगले सत्र हेतु स्कालरपंजी, छात्र उपस्थिति पंजी, शिक्षक उपस्थिति पंजी, शिक्षक दैनंदिनी, समय विभाग चक्र निर्माण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना, 2– प्रत्येक शाला में अपलेखन समिति का गठन किया जाये। इस समिति के माध्यम से कार्यालय, प्रयोगशाला, ग्रन्थालय/ वाचनालय आदि की अनुपयोगी सामग्री के अपलेखन, नष्ट एवं नीलामी के संबंध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अपलेखन की कार्यवाही सुनिश्चित करना। अपलेखन सामग्री के प्रस्ताव तैयार करते समय अपलेखन हेतु सामग्री का नाम, स्टाक पंजी पृष्ठ क्रमांक, सामग्री की संख्या तथा उसकी कीमत का उल्लेख किया जाये। अपलेखन उप रान्त शेष सामग्री का विवरण रखा जाये। 3– शाला बजट की समीक्षा की जाये। 4– आगामी सत्र हेतुं विभिन्न योजनाओं के हितग्राही छात्र/छात्राओं की पहचान की कार्यवाही प्रारंभ की जाये, 5– आगामी शिक्षण सत्र हेतु विद्यालय भवन, अधोसंरचना, फर्नीचर, विज्ञान उपकरण आदि को व्यवस्थित करना, सामग्रियों का रख–रखाव एवं साजसज्जा आदि पूर्ण कर ली जाये।

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./ शा.शि./ई/110 / 2007 –08/353 भोपाल, दिनांक 30.6.2007

प्रति,

1. आयुक्त,
   आदिवासी विकास विभाग,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण भोपाल / सागर / रीवा / जबलपुर/
   ग्वालियर / उज्जैन / इंदौर संभाग ।

विषय :– राज्य स्तरीय शालेय खेल पंचाग वर्ष 2007 –08 ।

राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगितायें वर्ष 2006 –07 हेतु खेल पंचाग जारी किया गया है जो आपकी ओर आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है । संलग्न खेल पंचांग के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के पूर्व संभाग स्तर तक की समस्त खेलकूद प्रतियोगितायें आवश्यक रूप से सम्पादित करा लें । संभागीय / जिला / संकुल/ विकासखण्ड स्तर के खेल पंचाग इस प्रकार बना लिए जाऍं जिससे खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में समय पर सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके ।

शालेय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक छात्रा / छात्राायें लाभान्वित हो सकें। इस हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी खेल पंचांग का अधिक से अधिक प्रचार– प्रसार करें । इस हेतु निम्नानुसार समयबद्व कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

स.क्र.	खेल पंचाग पहुॅंचने का स्तर	खेल पंचाग पहुंचाने का दायित्व	निर्धारित तिथि
1	समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों तक	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	20 जुलाई, 2007
2	विकास खण्ड स्तर एवं जिले के समस्त विद्यालयों तक	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी	31 जुलाई 2007

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि संभाग के अर्न्तगत होने वाली समस्त राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवश्यक तैयारी पूर्ण करली गई हैं।

'' आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(ड़ॉ. अबध किशोर मिश्र)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्र./ शा.शि./ई/110 / 2007 –08/354 भोपाल, दिनांक 30.6.2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान्नीय स्कूल शिक्षा मंत्री, म.प्र.शासन ।
2. निज सचिव, मान्नीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा,म.प्र.शासन, भोपाल ।
3. निज सचिव, मान्नीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, म.प्र.शासन ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मंत्राालय, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश,भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, बाणगंगा चौराहा,मध्यप्रदेश,भोपाल।
8. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, टी.टी.नगर स्टेडियम, भोपाल ।
9. संचालक, भारतीय खेल प्राधिकरण, श्यामला हिल्स भोपाल ।
10. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्य प्रदेश ।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्य प्रदेश ।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

\

राज्यस्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं का खेल पंचाग वर्ष 2007–08

स. क्र.	खेल का नाम	वर्ग	आयु समुह	राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल	राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियां	राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं की संभावित तिथियां	राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल
1	फुटबाल	बालिका	17 वर्ष	शहडोल (आ.वि.वि.)	6 से 10 सितम्बर, 07 तक	10 से 15 दिसम्बर,07	(आईजोल) मिजोरम
2	तीरंदाजी	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	शाजापुर	28 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(इम्फाल) मणिपुर
3	कबड्डी	बालक / बालिका	19 वर्ष	झाबुआ	28 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर,07	नई दिल्ली
4	योगा	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	इंदौर	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर,07	नई दिल्ली
5	तलवारबाजी	बालक / बालिका	19 वर्ष	इंदौर	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का प्रथम सप्ताह	(नासिक) महाराष्ट्र
6	शतरंज	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	इंदौर	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	जनवरी माह का प्रथम सप्ताह	(गोहाटी) असम
7	किक वांक्सिग	बालक / बालिका	19 वर्ष	इंदौर	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	जनवरी 08 का द्वितीय सप्ताह	(भुवनेश्वर) उडीसा
8	बैसबाल	बालक / बालिका	14, एवं 19 वर्ष	इंदौर	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर,07	नई दिल्ली
9	हैण्डबाल	बालक / बालिका	14 वर्ष	मंडला (आ.वि.वि.)	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर, 07	नई दिल्ली
10	हैण्डबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	शिवपुरी	8 से 12 अक्टूबर, 07 तक	नवम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(फैजाबाद) उत्तरप्रदेश

11	थ्रोबाल	बालक / बालिका	14 वर्ष	शिवपुरी	8 से 12 अक्टूबर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर,07	नई दिल्ली
12	थ्रोबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	शिवपुरी	8 से 12 अक्टूबर, 07 तक	नवम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	आंध्रप्रदेश
13	बालीबाल	बालक	14 वर्ष	विदिशा	12 से 16 नवम्बर , 07 तक	नवम्बर माह का अंतिम सप्ताह	कर्नाटका
14	बालीबाल	बालिका	14 वर्ष	विदिशा	12 से 16 नवम्बर , 07 तक	3 से 7 जनवरी, 08	पांडिचेरी
15	क्रिकेट	बालक	19 वर्ष	विदिशा	12 से 16 नवम्बर , 07 तक	23 से 28 दिसम्बर,07	नई दिल्ली
16	हांकी	बालक / बालिका	14 वर्ष	होशंगाबाद	18 से 22 सितम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(इम्फाल) मणिपुर
17	हांकी	बालक / बालिका	17 वर्ष	होशंगाबाद	18 से 22 सितम्बर, 07 तक	नवम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	चण्डीगढ
18	खो–खो	बालक / बालिका	14 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह	(काकीनाडा) आंध्रप्रदेश
19	लांन टेनिस	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(नागपुर) महाराष्ट्र
20	बाक्सिंग	बालक	19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	नवम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(शिमला) हिमाचल प्रदेश
21	बाक्सिंग	बालक	17 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	नवम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(अकोला) महाराष्ट्र
22	वेट लिफटिंग	बालक / बालिका	17 एवं 19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	दिम्बर माह का प्रथम सप्ताह	(सांगली) महाराष्ट्र

23	स्कावा मार्शल आर्ट	बालक / बालिका	17 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(नागपुर) महाराष्ट्र
24	कराते	बालक	19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	-	-
25	खो–खो	बालक / बालिका	17 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का प्रथम सप्ताह	(चित्रदुर्ग) कर्नाटका
26	हैण्डबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	नवम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(कपूरथला) पंजाब
27	नेटबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	नवम्बर माह का अंतिम सप्ताह	छत्तीसगढ
28	ताई क्वांडो	बालक/ बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	भोपाल	1 से 5 नवम्बर, 07 तक	–	केरल
29	खो–खो	बालक / बालिका	19 वर्ष	रीवा	12 से 16 सितम्बर , 07 तक	अक्टूबर माह का द्वितीय सप्ताह	(जे. पोगोलूरू) आंध्रप्रदेश
30	बालीबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	रीवा	12 से 16 सितम्बर , 07 तक	दिसम्बर माह का प्रथम सप्ताह	(देहरादून) उतरांचल
31	शूटिंगबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	राजगढ	14 से 18 नवम्बर 07 तक	23 से 28 दिसम्बर, 07	नई दिल्ली
32	रायफल शूटिंग	बालक / बालिका	17 एवं 19 वर्ष	राजगढ	14 से 18 नवम्बर 07 तक	दिवम्बर माह का प्रथम सप्ताह	महाराष्ट्र
33	सुब्रोतो मुखर्जी फुटबाल	बालक	14 व 17 वर्ष	सीधी	18 से 22 अगस्त, 07 तक	सुब्रेतो मुखर्जी फुटबाल समिति द्वारा निर्धारित तिथियॉ	नई दिल्ली
34	बैसबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	सीहोर	30 अगस्त से 03 सितम्बर, 07 तक	28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 07	मडगांव (गोवा)

35	नेटबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	सीहोर	30 अगस्त से 03 सितम्बर, 07 तक	23 से 27 दिसम्बर, 07	(हैदराबाद)आंध्रप्रदेश
36	नेटबाल	बालक / बालिका	14 वर्ष	सीहोर	30 अगस्त से 03 सितम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर, 07	नई दिल्ली
37	फुटबाल	बालक	14 वर्ष	सीहोर	30 अगस्त से 03 सितम्बर, 07 तक	सितम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(कलकत्ता)पश्चिम बंगाल
38	क्रिकेट	बालिका	19 वर्ष	सागर	25 से 29 सितम्बर , 07 तक	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	जम्मू
39	हांकी	बालक / बालिका	19 वर्ष	सागर	25 से 29 सितम्बर , 07 तक	23 से 28 दिसम्बर, 07	नई दिल्ली
40	बेडमिंटन	बालक / बालिका	14 व 19 वर्ष	सागर	25 से 29 सितम्बर , 07 तक	दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह	(पंचकुला) हरियाणा
41	बेडमिंटन	बालक / बालिका	17 वर्ष	सागर	25 से 29 सितम्बर , 07 तक	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(थाणे) महाराष्ट्र
42	टेबिल टेनिस	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	सागर	25 से 29 सितम्बर , 07 तक	10 से 15 दिसम्बर,07	(आईजोल) मिजोरम
43	एथलेटिक्स	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	सतना	6 से 10 दिसम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह	(कलकत्ता) पश्चिम बंगाल
44	बालीबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	डबरा (ग्वालियर)	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	1 से 6 जनवरी, 08 तक	(डबरा) मध्यप्रदेश
45	थ्रोबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	डबरा (ग्वालियर)	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	1 से 6 जनवरी, 07 तक	डबरा (मध्यप्रदेश)
46	कबड्डी	बालक / बालिका	14 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	नवम्बर माह का अंतिम सप्ताह	छत्तीसगढ

47	कबड्डी	बालक / बालिका	17 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	जनवरी माह का द्वितीय सप्ताह	पूर्व गोदावरी (आंध्रप्रदेश)
48	जिम्नास्टिक	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह	(अगरा) उत्तरप्रदेश
49	मलखम्ब	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	आयोजित नहीं	आयोजित नहीं
50	कुश्ती	बालिका	19 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	नवम्बर माह का तृतीय सप्ताह	(वार्नानगर) महाराष्ट्र
51	कुश्ती	बालक	14, 17 एवं 19 वर्ष	उज्जैन	27 से 31 अक्टूबर, 07	23 से 28 दिसम्बर 07 तक	नई दिल्ली
52	फुटबाल	बालक	17 वर्ष	छतरपुर	6 से 10 सितम्बर,07 तक	दिसम्बर माह का प्रथम सप्ताह	(पार्टब्लेयर) अण्डमान निकोबार
53	बास्केटबाल	बालक / बालिका	14 वर्ष	जबलपुर	23 से 27 अक्टूबर, 07 तक	दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह	(दावणगिरे) कर्नाटका
54	बास्केटबाल	बालक / बालिका	17 वर्ष	जबलपुर	23 से 27 अक्टूबर, 07 तक	नवम्बर माह का अंतिम सप्ताह	छत्तीसगढ
55	रोड साइक्लिंग	बालक / बालिका	17 एवं 19 वर्ष	जबलपुर	23 से 27 अक्टूबर, 07 तक	दिसम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(पूणे) महाराष्ट्र
56	साइकिल पोलो	बालक / बालिका	19 वर्ष	जबलपुर	23 से 27 अक्टूबर, 07 तक	नवम्बर माह का अंतिम सप्ताह	छत्तीसगढ
57	बास्केटबाल	बालक / बालिका	19 वर्ष	नरसिंहपुर	18 से 22 अगस्त, 07 तक	नवम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(गोटन नागोरे) राजस्थान
58	फुटबाल	बालिका	19 वर्ष	टीकमगढ	29 अगस्त से 02 सितम्बर,07	28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 07 तक	मडगांव (गोवा)

59	फुटबाल	बालक	19 वर्ष	टीकमगढ	29 अगस्त से 02 सितम्बर,07	सितम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	श्रीनगर
60	साफटबाल	बालक/ बालिका	14, एवं 19 वर्ष	टीकमगढ	29 अगस्त से 02 सितम्बर,07	नवम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(चण्डीगढ) पंजाब
61	साफटबाल	बालक/ बालिका	17 वर्ष	टीकमगढ	29 अगस्त से 02 सितम्बर,07	23 से 28 दिसम्बर07 तक	नई दिल्ली
62	नेहरू हांकी	बालक	15 एवं 17 वर्ष	अनूपपुर (आ.वि.वि.)	21 से 25 अगस्त, 07 तक	जवाहरलाल नेहरू हाकी समिति नई दिल्ली द्वारा निर्धारित तिथि	नई दिल्ली
63	नेहरू हांकी	बालिका	17 वर्ष	अनूपपुर (आ.वि.वि.)	21 से 25 अगस्त, 07 तक	जवाहरलाल नेहरू हाकी समिति नई दिल्ली द्वारा निर्धारित तिथि	नई दिल्ली
64	रोलर स्केटिंग	बालक / बालिका	11, 14, 17 एवं 19 वर्ष	ग्वालियर	6 से 10. सितम्बर, 07 तक	अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह	(अहमदाबाद) गुजरात
65	रोलर हांकी	बालक	19 वर्ष	ग्वालियर	6 से 10. सितम्बर, 07 तक	अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह	(अहमदाबाद) गुजरात
66	तैराकी, एवं डाईविंग	बालक / बालिका	14, 17 एवं 19 वर्ष	ग्वालियर	6 से 10. सितम्बर, 07 तक	अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह	(अहमदाबाद) गुजरात
67	वाटरपोलो	बालक	19 वर्ष	ग्वालियर	6 से 10. सितम्बर, 07 तक	अक्टूबर माह का अंतिम सप्ताह	(अहमदाबाद) गुजरात
68	जूडो	बालक / बालिका	14 एवं 17 वर्ष	गुना	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	10 से 15 दिसम्बर, 07	(आईजोल) मिजोरम
69	जूडो	बालक / बालिका	19 वर्ष	गुना	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	23 से 28 दिसम्बर, 07	नई दिल्ली

70	क्रिकेट	बालक	14 व 16 वर्ष	गुना	19 से 23 नवम्बर, 07 तक	दिसम्बर माह का द्वितीय सप्ताह	(मुम्बई) महाराष्ट्र

(डा0अवधकिशोर मिश्रा
)
संचालक
लोक शिक्षपाण,मध्यप्रदेश